अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 28-3-87 और 11-9-87 को दो बैठकें आयोजित की गयी । मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में बारी-बारी आमंत्रित किया जाता है । मंत्रालय के अधीनस्थ सम्बद्ध कोई कार्यालय आदि नहीं है ।

(ख) मंत्रालय में हिन्दी अनुभाग सहित 10 अनुभाग हैं जिनमें एक अनुभाग-सामान्य अनुभाग में 17-10-85 से शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा दो अन्य अनुभागों में क्रमश: 17-7-86 और 27-3-87 से प्रारम्भ में 25 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है ।

(ग) मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन किया जाता है ।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

727. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुईं और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अनुभागों को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 33) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) कलेन्डर वर्ष 1987 के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की अब तक 3 बैठकें हुई हैं । अन्य बैठक 17-11-87 को होनी है । गैर-सरकारी व्यक्तियों को राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में पर्यवेक्षक के रूप में नामित नहीं किया जाता, क्योंकि ये विभागीय समितियां हैं । तथापि, इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के एक गैर-सरकारी सदस्य को इस मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है । कुछ माध्यम एकक भी हिन्दी सलाहकार समिति के एक गैर-सरकारी सदस्य को अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति में आमंत्रित करते हैं ।

(ख) इस मंत्रालय के किसी भी अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में नहीं हो रहा है । तथापि, इस मंत्रालय में कतिपय विषय निर्धारित किये गये हैं जिनका निपटान करने के लिए हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों से हिन्दी का प्रयोग करने के लिये कहा गया है । इस मंत्रालय के कुछ माध्यम एककों ने कुछ अनुभागों का भी चयन किया है जिनमें अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के प्रयास किये जाते हैं ।

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को इस मंत्रालय और इसके माध्यम एककों में यथासंभव कार्यान्वित

किया जा रहा है । इसके कार्यान्वयन पर इस मंत्रालय तथा संबंधित माध्यम एककों द्वारा निगरानी रखी जाती है तथा जहां आवश्यक समझा जाता है, स्थिति में सुधार के लिये उपचारी उपाय किये जाते हैं ।

Welfare Schemes for Disabled Children in Rajasthan

728. SHRI SANTOSH BAGRODIA; Will the Minister of WELFARE be pleased to fitate;

(a) what are the schemes introduced for the welfare of the disabled children in the State of Rajasthan during the last three years; and

(b) the details thereof and the amount allocated for them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

There is no scheme *of* this Ministry exclusively for disabled children. However, there are three Schemes directly administered by this Ministry under which grants are given for the Welfare of the Disabled, including disabled children. These Schemes are (i) Scheme of Assistance to Voluntary Organisation working for the Welfare of Disabled Persons (ii) Scheme of Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting of aide/ appliances and (iii) the Scheme oi Scholarship for Disabled students for studies from class IX upwards including MA, MScs, MBBS, LLB.; BE/ M. Tech, professional training etc.

During the year 1984-85, 1985-86 and 1986-87 the following grants were released under the above mentioned three schemes to Rajasthan: —

a. No.	Name ofthe Vol. orgs.	Amount of grant released to the Orgs. Working in the State of Rajasthan during the vears: 1984-85 (Ks.)	1985-86 (Rs.)	1986-87 (Rs.)
	(i) Scheme of Assistance to Disabled Pcisrr. s fcr puicbase, of aids/appliances.			
1.	Bbagwan Mahaveer	15, 00, 000/-	17, 00, 000/-	2o, oo, 000/-
	(ii j Scheme of Assistance to Org. tor the disabled pcir rn			
1.	Badhir Bal Vikas Kendra, Kota	1, 50, 000/-	1, 5, 0000/-	
2.	Jeevan Nirman Ssnsthan, Bharatpur'.	1, 00, 000/-		70, 000/-
3.	Netraheen Vikas S?nsthan, Jodhpur.	1, 00, 000/-	94, 100/-	
4.	Rajasthan Netraheen Kalyan S?ngh, Jaipur	50, 000/-		
5.	Badhir Bal Vikas Sama'. i, Ajmer	6, 000/-	1, 50, 000/-	1, 50, 000/-
6.	Indian Council of Social Welfare, Jaipur	1, 36, 145/-	1, 58, 967/-	
7.	Pragya Choak?hu Shikshan Sansthan, Udai-	10, 000/-		
8.	L. K. C. Sh. Jadgamba And h Vidyalaya, Shri		1, 64, 300/-	4, 25, 511/-
9.	Viklang KalyaD Samati, Udipur.		7, 580/-	
		5, 52, 145	7, 24, 947	6, 45, 511